Q.No-14

M.A.I – Sem II

Subject Code - History CC5

History of Women Study

जनजातीय समाज में महिलाओं के कानूनी अधिकार

जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति उस समाज में प्रचलित आदर्शों, विश्वासों, मान्यताओं व मूल्यों के आधार पर तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों की विभिन्न प्रकृति के अनुरूप होती है।

जनजातीय सामाजिक मान्यता - विवाह के पश्चात लड़की जन्मसिद्ध स्थान छोड़कर दूसरों के जन्मसिद्ध स्थान पर रहती है, इसलिए उसे अचल सम्पत्ति का पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है क्योंकि पैतृक संपत्ति (अचल संपत्ति) का पूर्ण अधिकार देने से पारिवारिक जन्म सिद्ध अधिकार "कुर्सीनामा" भंग हो जाती है। उनमें पारस्परिक ऐतिहासिक तथ्य लुप्त हो जाते हैं। उनमें वंशज का अस्तित्व कुछ नहीं रह जाता है। इस तरह पारिवारिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। पूरे गांव में अनेक समस्याएँ आ जाती हैं। ऐसी समस्याओं के चलते खून, जानमाल का खतरा हो चुका है, हो रहा है, और होगा। यही धारणा जनजातीय समाज में व्याप्त है।

अतः पुत्रों को ही पैतृक सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। यह प्राग्वैदिक ऐतिहासिक परम्परा है, और देश में शांति और विकास के लिए परमावश्यक है।

संपत्ति संबंधी अधिकार - मुण्डा, हो, संथाल, उरांव, खड़िया जनजातियों में

महिलाओं के कानूनी अधिकार

पुरुष उत्तराधिकार की मृत्यु के उपरांत उनकी पैतृक संपति उनके पुत्रों को प्राप्त होता है।

इन जनजातियों के मृत व्यक्ति की भू-सम्पति पर उसकी विधवा का स्वामित्व का हक नहीं होता है, किंतु अपने जीवनकाल तक या जब तक उसका अन्यत्र विवाह नहीं हो जाता है, तब तक अपने मृत पति के जमीन का उपभोग करने का हक होता है, किंतु यदि मृत पति से कोई पुरुष संतान है तो वह पुरुष संतान अपने मृत पिता की भू-संपत्ति के स्वामित्व का हकदार होगा।

मृत पिता की भू-सम्पति का बंटवारा जब उनके पुत्रों में, पुरुष संतानों में होता है तो अविवाहित पुत्रियों के भरण-पोषण के लिए अपने पिता की भू-संपति में से कुछ भाग आवंटित की जाती है। कुछ आदिम जनजातियों में इसे "खीरपों" कहा जाता है। इस आवंटित भू-सम्पति पर पुत्रियों के स्वामित्व का हक नहीं होता है। उनके विवाह हो जाने या अविवाहित मृत्यु हो जाने पर आवंटित भूमि उनके भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है।

यदि किसी व्यक्ति को पुरुष संतान न हो और उसका कोई भाई भी न हो तो ऐसी स्थिति में उसकी भूसम्पति पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता के भाइयों में या उनकी मृत्यु की स्थिति में उनके पुरुष संतानों में बंटवारा हो जाता है।

जब किसी आदिम जाति व्यक्ति को कोई

महिलाओं के वारसी अधिकार

पुत्र न हो, कोई भाई अथवा चाचा न हो या खानदान का कोई निकट पुरुष वारिश न हो तो ऐसे व्यक्ति की भू-संपति उनके गोत्र के जातीय समाज को गाँव के प्रमुख (मुण्डा, मानकी, महतो) की निगरानी में चली जाएगी और गाँव के प्रमुख उस मूल व्यक्ति के गोत्र के किसी व्यक्ति को उसकी भू-संपति का बंदोबस्त कर देगा।

जब कोई जनजाति पुरुष अपनी जाति के बाहर किसी महिला से विवाह कर लेता है और उसके पुरुष संतान पैदा होता है तो उन्हें पिता की मृत्यु के बादभी भू-सम्पति का स्वामित्व का हक नहीं मिलता है। किंतु उराँव जनजाति में पुरुष संतान को हक मिलता है।

अवैध पुत्र को पैतृक संपति में कोई अधिकार नहीं होता है।

आदिवासी समाज में पोष्य पुत्र को पैतृक सम्पति में कोई अधिकार नहीं होता है।

घर दामाद या जमाई को मुण्डा एवं हो समाज में भू-सम्पति पर उत्तराधिकार का हक नहीं होता है। किंतु उरांव, खड़िया तथा संथाल जनजातियों में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त घर दामाद को भू-सम्पति पर उत्तराधिकारी का हक स्वीकार किया गया है। किंतु ऐसे घर दामाद को अपने पिता की पैतृक सम्पति का उत्तराधिकारी का हक नहीं होता है।

उराँव जनजातीय समाज में किसी व्यक्ति की प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद अपने ही समाज

Scanned with CamScanner

जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार

के आधार दूसरा विवाह करने की स्थिति में प्रथम पत्नी के पुरुष संतान को दूसरी पत्नी के पुरुष संतान से भू-सम्पत्ति में से अधिक हिस्सा पाने का हक है।

राजनैतिक भागीदारी —

आदिवासी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी भी बहुत कम है। विधायिका न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में झारखंड की आदिवासी महिलाओं का योगदान नगण्य है। अतः स्वयं सेवी संस्थाओं, समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं सरकार द्वारा आदिवासी महिलाओं को उनकी जीविका सम्मान एवं अधिकार के संबंधों में काफी सहयोग दिया है।

इस प्रकार स्वयं सेवी संस्थाएँ महिलाओं के स्व सहायता समूह बनाकर उन्हें कानूनी अधिकार जैसे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति -तत्वों एवं शिक्षा - एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दिलाती है। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग कर रही है, ताकि महिलाएँ अपने अधिकारों को समझें और संघर्ष करें।

———— oo ————

A. Ku…
Deptt. of Hist.
DSPMU

Scanned with CamScanner